न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र 71/2021(2021/214)

1. कैलाशचन्द पुत्र श्री हरकचन्द।
2. मुकेश कुमार पुत्र श्री हरकचन्द।
   जाति छीपा निवासी कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. [redacted]वती पत्नी श्री गणेश।
2. हेमन्त पुत्र श्री गणेश ।
3. पवन पुत्र श्री गणेश।
4. गणेश पुत्र श्री चम्पालाल दत्तक पुत्र श्री रामस्वरूप।
   जाति छीपा निवासीगण पुराना कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर।

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–1. श्री हेमन्त जैन – वकील प्रार्थी
2. श्री भंवरलाल शर्मा– वकील अप्रार्थी

–:आदेश:–

दिनांक–4.8.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है ग्राम कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित आराजीयात का विवरण निम्न प्रकार है।

खाता संख्या नया	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
157–123	309	2.24	पेटा तालाबी

उक्त वर्णित आराजीयात एकमात्र प्रार्थीगण के कब्जे, काश्त व खातेदारी की आराजीयात है तथा प्रार्थीगण के ही कब्जे, काश्त व खातेदारी में चली आ रही है जिसमे हाल ही मे प्रार्थीगण ने ज्वार की फसल काश्त की है अप्रार्थीगण का वाद वर्णित आराजीयात पर कोई कब्जा, हक व अधिकार नही है तथा ना ही कभी रहा है वाद वर्णित आराजीयात को प्रार्थीगण के पिता श्री हरकचन्द पुत्र श्री मिश्रीलाल जाति छीपा ने रामस्वरूप वल्द छीतरमल छीपा से वर्ष 1976 में दिनांक 06.4.1976 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की थी तथा वर्ष 1976 से ही आराजीयात एकमात्र प्रार्थीगण के ही कब्जे, काश्त मे चला आ रही है प्रार्थीगण से पूर्व उनके पिता के कब्जे काश्त मे चली आ रही है अप्रार्थीगण का वाद वर्णित आराजीयात पर कोई कब्जा हक व अधिकार नही है अप्रार्थीगण वाद वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण को वर्तमान मे

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

कब्जे, काश्त मे बाधा उत्पन्न कर रहे है प्रार्थीगण के पिता ने आराजीयात जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की थी तथा आराजीयात बेचे जाते समय रामस्वरूप जी के कोई दत्तक पुत्र भी नही था तथा ना ही रामस्वरूप जी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार वाद वर्णित आराजीयात में बेचान के समय रहा है मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण मय उनके रिश्तेदार अस्थाई निषेधाज्ञा सदैव के लिए पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थीगण को पैरा संख्या 2 में वर्णित उनकी आराजीयात के कब्जे, काश्त, उपयोग, उपभागे मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे तथा ना ही ऐसा कोई कृत्य करे जिससे प्रार्थीगण को बजहद हानि हो का निवेदन कर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

[redacted]र्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जवाब हेतु नोटिस जारी किये। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। जवाब निम्नानुसार है:—

प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया है उक्त विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण का हक व कब्जा निरन्तर चल आ रहा है अप्रार्थीगण ने वर्तमान में उक्त आराजी में शिवाजी ज्वार काश्त की है प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में नही है व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे नही है यदि प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जावे तो प्रार्थीगण को कोई अपूर्णनीय क्षति नही होगी। अप्रार्थीगण का जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र खारिज करने का निवेदन किया। पक्षकारान की बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अप्रार्थीगण [redacted]पक्ष में साबित हो रहे है विधिसम्मत नही कहा जा सकता है। प्रार्थिगण के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया प्रकरण और सुविधा का संन्तुलन भी नहीं पाया गया अतः प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निधारण नही करता है हक अधिकार का प्रश्न वाद शहादत मूल वाद मे तय होगा खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)